रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 48] नई दिल्ली, नवम्बर 20—नवम्बर 26, 2016, शनिवार/कार्तिक 29—अग्रहायण 5, 1938
No. 48] NEW DELHI, NOVEMBER 20—NOVEMBER 26, 2016, SATURDAY/KARTIKA 29—AGRAHAYANA 5, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड ( ii )
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

---

**भारतीय रिज़र्व बैंक**

मुंबई, 23 सितम्बर, 2016

**का.आ. 2256.**—राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का सं. 53) की धारा 6(2) के साथ पठित धारा 6 के खण्ड (घ) की उपधारा (i) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक डॉ. ऊर्जित पटेल के स्थान पर एतद्द्वारा श्री आर. गाँधी, उप-गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक को राष्ट्रीय आवास बैंक के निदेशक मंडल मे बैंक के नामिती निदेशक के रूप में नामित करता है।

[अधिसूचना सं. बैंविवि.एपीपीटी. एनएचबी. 3652/08.21.006/2016-17]

सुदर्शन सेन, कार्यपालक निदेशक

21. प्रार्थी श्रमिक की ओर से न्यायदृष्टांत "2013(139)एफएलआर 541(एससी)–दीपाली गुण्डु सुरवेस बनाम क्रान्ति जूनियर अध्यापक एवं अन्य" पेश किया गया है। उक्त न्यायदृष्टांत में वर्णित तथ्यों के मुताबिक यदि किसी न्यायालय अथवा अन्य सक्षम न्यायिक/अर्द्धन्यायिक मंच/निकाय द्वारा कर्मकार के विरूद्ध की गयी कार्यवाही को अवैधानिक अथवा नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत पाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में कर्मकार पुनः सेवा में नियोजित होने योग्य है, परन्तु हस्तगत मामले में ऐसी स्थिति नहीं है, अतः उक्त न्यायदृष्टांत भी प्रार्थी श्रमिक को कोई लाभ नहीं पहुँचाता है।

22. प्रार्थी श्रमिक की ओर से न्यायदृष्टांत "1976 एससीएलजे 85–स्टेट बैंक आफ इण्डिया बनाम एन.सुन्दरमनी" पेश किया गया है, परन्तु हस्तगत मामले में प्रार्थी ने स्वयं अपने क्लेम स्टेटमेन्ट में अप्रार्थीगण से नोटिस पे प्राप्त करना स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी किसी ठोस साक्ष्य के आधार पर अप्रार्थीगण के नियोजन में सेवा समाप्ति की तिथि से ठीक पूर्व के 12 कलेण्डर माह की अवधि में निरन्तर 240 दिन कार्य किये जाने के तथ्य को माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त उदृत न्यायदृष्टांत "आर.एम.येल्टटी बनाम सहायक अधिशासी अभियन्ता–2006 (108) एफएलआर 213(एससी)" में प्रतिपादित सिद्धांत की रोशनी में साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः प्रार्थी श्रमिक को प्रस्तुत उक्त न्यायदृष्टांत से कोई लाभ नहीं पहुँचता है।

23. प्रार्थी श्रमिक की ओर से न्यायदृष्टांत "2010(124) एफएलआर 700(एससी)–हरजिन्दर सिंह बनाम पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कोर. तथा 2015 (144) एफएलआर 837(एससी)–जसमेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा एवं अन्य" पेश किये गये हैं, इन सभी प्रस्तुत न्यायदृष्टांतों में मामला अवैध सेवा से निष्कासन का था, परन्तु हस्तगत मामला अवैध सेवा से निष्कासन का होना नहीं पाया गया, अतः प्रस्तुत उक्त सभी न्यायदृष्टांत प्रार्थी श्रमिक को कोई लाभ नहीं पहुँचाते हैं।

24. इस प्रकार मामले में सम्पूर्ण साक्ष्य के विवेचन से प्रकट होता है कि प्रार्थी ने स्वयं को अप्रार्थी के नियोजन में दि.30/11/90 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर सेवामें नियोजित होना अपने क्लेम स्टेटमेन्ट में व्यक्त किया है तथा पिछले सम्पूर्ण वेतन व समस्त हितलाभों सहित उक्त पद पर बहाल किये जाने की प्रार्थना न्यायाधिकरण से की है, परन्तु प्रार्थी स्वयं चपरासी के पद पर अप्रार्थी द्वारा सेवामें नियोजित किये जाने के सम्बन्ध में कोई नियुक्ति आदेश आदि प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा स्वयं के यहॉ केजुअल जोब वर्क एक सीमित अवधि के लिए किया जाना व्यक्त किया है व उक्त अवधि के समाप्त होने पर प्रार्थी घासीलाल की नियुक्ति स्वतः ही समाप्त होना व्यक्त किया है। इस प्रकार प्रार्थी, अप्रार्थी द्वारा स्वयं को चपरासी के नियमित पद पर कोई निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर चपरासी के पद पर भरती किये जाने के तथ्य को साबित करने में असफल रहा है। प्रार्थी, अप्रार्थी के नियोजन में सेवा समाप्ति की तिथि 21/8/91 से ठीक पूर्व के 12 कलेण्डर माह की अवधि में निरन्तर 240 दिन कार्य किये जाने के तथ्य को भी साबित किये जाने में पूर्णतया असफल पाया गया है। प्रार्थी का मामला छंटनी का होना भी प्रमाणित नहीं है। अतः इन समस्त परिस्थितियों में प्रार्थी श्रमिक अधिनियम की धारा 25–एफ, जी एवं एन के प्रावधानान्तर्गत कोई संरक्षण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से अप्रार्थी नियोजक के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होना पाया जाता है एवं सम्प्रेषित निर्देश/रेफ्रेन्स भी इसी अनुरूप उत्तरित होने योग्य है।

परिणामस्वरूप भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रासांगिक आदेश दिनांक 12/3/93 के जरिये सम्प्रेषित निर्देश/रेफ्रेन्स विवाद को इसी अनुरूप उत्तरित किया जाता है कि प्रार्थी श्रमिक घासीलाल स्वयं को चपरासी के नियमित पद पर कोई निर्धारित प्रकिया अपनाकर उक्त पद पर भर्ती किये जाने के तथ्य को साबित किये जाने में असफल रहा है। प्रार्थी श्रमिक, अप्रार्थी नियोजक के नियोजन में सेवा समाप्ति की तिथि 21/8/91 से ठीक पूर्व के 12 कलेण्डर माह की अवधि में निरन्तर 240 दिन कार्य किये जाने के तथ्य को साबित किये जाने में पूर्णतया असफल रहा है। प्रार्थी का मामला छंटनी का होना भी प्रमाणित नहीं है। अतः इन समस्त परिस्थितियों में प्रार्थी श्रमिक, अप्रार्थी नियोजक के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

श्रीमती अनिता शर्मा, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2016

**का.आ. 2291.**—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 दिसम्बर, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसे उक्त अधिनियम के अध्याय IV (धारा 44 व 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) तथा अध्याय V और VI [धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबंध पूर्व कार्यान्वित क्षेत्रों के अतिरिक्त संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित जिलों में प्रवृत्त होंगे, नामत् :—

| क्र.सं. | जिले का नाम |
|---|---|
| 1. | चित्तूर |
| 2. | अनंतपुरम |
| 3. | कड़प्पा |
| 4. | कर्नूल |

[सं. एस-38013/42/2016-एस.एस. I]

अजय मलिक, अवर सचिव

New Delhi, the 18th November, 2016

**S.O. 2291.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st December, 2016 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following Districts in the State of Andhra Pradesh namely :—

| Sl. No. | Name of the Districts |
|---|---|
| 1. | Chittor |
| 2. | Ananthapuram |
| 3. | Kadapa |
| 4. | Kurnool |

[No. S-38013/42/2016-S.S. I]

AJAY MALIK, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2016

**का.आ. 2292.**—केन्द्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथासंशोधित, 1987) के नियम 10 के उप–नियम (4) के अनुसरण में, श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्द्वारा अधिसूचित करती है :

1. कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श अस्पताल, जयपुर
2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श अस्पताल, गुड़गांव
3. कर्मचारी राज्य बीमा निगम शाखा कार्यालय, बोकारो, झारखण्ड
4. कर्मचारी राज्य बीमा निगम शाखा कार्यालय, धनबाद, झारखण्ड
5. कर्मचारी राज्य बीमा निगम शाखा कार्यालय, गोलमुरी, झारखण्ड
6. कर्मचारी राज्य बीमा निगम शाखा कार्यालय, आदित्यपुर, झारखण्ड

[सं. ई–11017/1/2006–रा.भा.नी.]

देवेन्द्र सिंह, आर्थिक सलाहकार

New Delhi, the 18th November, 2016

**S.O. 2292.**—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended, 1987) the Central Government hereby notifies following offices under the administrative control of the Ministry of Labour and Employment, more than 80% Staff whereof have acquired working knowledge of Hindi :

1. ESIC Model Hospital, Jaipur
2. ESIC Model Hospital, Gurgaon
3. ESIC Branch Office, Bokaro, Jharkhand
4. ESIC Branch Office, Dhanbad, Jharkhand
5. ESIC Branch Office, Golmuri, Jharkhand
6. ESIC Branch Office, Adityapur, Jharkhand

[No. E-11017/1/2006-RBN]

DEVENDER SINGH, Economic Adviser

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2016

**का.आ. 2293.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स राधा कंस्ट्रक्शन के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक